

समाहरणालय, मधेपुरा

(गोपनीय शाखा)

- आदेश :-

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार तथा राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार सरकार द्वारा संचालित तम्बाकू नियंत्रण कार्यक्रम के अंतर्गत दिनांक 27-01-2014 को जिला स्वास्थ्य समिति, मधेपुरा एवं सेशियो इन्फोर्मिक एण्ड एजुकेशनल डेवलपमेंट सोसाईटी (सीड्स) बिहार के संयुक्त तत्वाधान में जिला तम्बाकू नियंत्रण कार्यक्रम अंतर्गत जिलास्तरीय उन्मुदीकरण कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला में लिए गए निर्णय के अनुसार तृतीय उप समाहर्ता (आपदा), मधेपुरा को जिला तम्बाकू नियंत्रण कार्यक्रम का विशेष-मोडल पदाधिकारी नामित किया जाता है। तृतीय उप समाहर्ता जिले के सभी विभागों के पदाधिकारियों के साथ समन्वय कायम कर तम्बाकू नियंत्रण कार्यक्रम का जिले में सफल संचालन कराना सुनिश्चित करेंगे। साथ ही कोठ्या के विभिन्न धाराओं का प्रभावी अनुपालन तथा दण्ड व्यवस्था को गति प्रदान कराना सुनिश्चित करेंगे। मधेपुरा जिले को सूत्रपात्र मुक्त जिला घोषित कराने हेतु आवश्यक कार्रवाई करेंगे।

यह आदेश तत्कालिक प्रभाव से लागू होगा।
इसकी सूचना सभी संबंधितों को दी जाव।

80/-

जिलाधिकारी-सह-अध्यक्ष,

जिला तम्बाकू नियंत्रण समन्वय समिति, मधेपुरा।

क्रमांक 249/20, मधेपुरा दिनांक 28/01/14

- प्रतिलिपि : उप विकास आयुक्त, मधेपुरा /निदेशक, लेखा प्रशासन एवं स्वयंसेवा, मधेपुरा /सभी प्रगती विधिरसा पदाधिकारी प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र मधेपुरा जिला /जिला शिक्षा पदाधिकारी, मधेपुरा /अनुमंडल पदाधिकारी, मधेपुरा /उपनिवेश/सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी, मधेपुरा जिला /सभी प्रखंड शिक्षा प्रसार पदाधिकारी, मधेपुरा /सभी टी0डी0पी0ओ0, मधेपुरा /ग्राम अधीक्षक, मधेपुरा को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। अनुदेष्ट है कि अपने क्षेत्रांतर्गत कर्मचारियों /सार्वजनिक स्थानों को तम्बाकू एवं सूत्रपात्र मुक्त क्षेत्र घोषित करना एवं इस हेतु आवश्यक कदम उठाना सुनिश्चित करें।
- प्रतिलिपि : जिला सूचना एवं जनसम्पर्क पदाधिकारी, मधेपुरा को सूचना एवं विदेशित किया जाता है कि जिले के सभी समाचार पत्रों में उपरोक्त आदेश का नियमित अंतराल पर प्रकाशित करवाना सुनिश्चित करें।
- प्रतिलिपि : सभी सदस्य, जिला तम्बाकू नियंत्रण समन्वय समिति, मधेपुरा को सूचना एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।
- प्रतिलिपि : सिविल सर्जन-सह-सदस्य सचिव, तम्बाकू नियंत्रण कार्यक्रम, मधेपुरा को सूचना एवं प्रेषित।
- प्रतिलिपि : पुलिस अधीक्षक, मधेपुरा को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
- प्रतिलिपि : कार्यपालक निदेशक, सीड्स, 303 बसन्ती कुन्ज अपार्टमेंट, पोस्ट ऑफिस रोड, पुनाईचक, पटना को सूचना एवं प्रेषित।
- प्रतिलिपि : राज्य कार्यक्रम पदाधिकारी, बिहार पटना /राज्य सलाहकार, तम्बाकू नियंत्रण कार्यक्रम, राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार पटना को सूचना एवं प्रेषित।
- प्रतिलिपि : स्वास्थ्य सचिव-सह- कार्यपालक निदेशक, राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार, पटना को सूचना एवं प्रेषित।
- प्रतिलिपि : आयुक्त, कोशी प्रमण्डल, सहरसा /पुलिस उप महानिरीक्षक, सहरसा को सादर सूचना एवं प्रेषित।

जिलाधिकारी-सह-अध्यक्ष,

जिला तम्बाकू नियंत्रण समन्वय समिति, मधेपुरा।

समाहरणालय, मधेपुरा

(जिला गोपनीय शाखा)

अधिसूचना

सिगरेट एवं अन्य तम्बाकू उत्पाद (विज्ञापन का प्रतिषेध और व्यापार वाणिज्य, उत्पादन, प्रदाय और वितरण का विनियमन) अधिनियम Cigarettes and other Tobacco Product (Prohibition of Advertisement and Regulation of Trade and Commerce, Production, Supply and Distribution) Act, 2003 (COTPA) को जिले में प्रभावी ढंग से लागू करने हेतु स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना के अधिसूचना संख्या 336 (12) पटना दिनांक 02-04-2012 के आलोक में जिला तम्बाकू नियंत्रण समन्वय समिति का गठन किया गया था, पर अधिसूचना में दिये गये निर्देश के अनुसार नहीं होने के कारण जिलाधिकारी की अध्यक्षता में "जिला तम्बाकू नियंत्रण समन्वय समिति District Tobacco Control Coordination Committee (DTCCC)" का पुनर्गठन किया जाता है।

गठित की गयी समिति में विभिन्न विभागों एवं स्वयंसेवी संस्थानों के निम्नांकित सदस्य होंगे :-

1. जिलाधिकारी-सह-अध्यक्ष, जिला स्वास्थ्य समिति	-	अध्यक्ष
2. पुलिस अधीक्षक, मधेपुरा	-	सदस्य
3. उप विकास आयुक्त, मधेपुरा	-	सदस्य
4. सिविल सर्जन-सह-सदस्य सचिव, जिला स्वास्थ्य समिति	-	सदस्य सचिव
5. विशेष नोडल पदाधिकारी, तम्बाकू नियंत्रण कार्यक्रम मधेपुरा	-	सदस्य-सह-समन्वयक
6. जिला शिक्षा पदाधिकारी	-	सदस्य
7. जिला जनसम्पर्क पदाधिकारी	-	सदस्य
8. जिला परिवहन पदाधिकारी	-	सदस्य
9. जिला पंचायती राज पदाधिकारी	-	सदस्य
10. जिला कार्यक्रम प्रबंधक, जिला स्वास्थ्य समिति, मधेपुरा	-	सदस्य
11. जिला खाद्य /औषधि नियंत्रक	-	सदस्य
12. प्राचार्य, टी0पी0कॉलेज, मधेपुरा	-	सदस्य
13. प्राचार्य, शिवनन्दन प्रसाद मंडल इंटर स्तरीय, मधेपुरा	-	सदस्य
14. सचिव, रेडक्रास सोसाइटी, मधेपुरा	-	सदस्य
15. प्रतिनिधि सोशियो इकनॉमिक एण्ड एजुकेशनल डेवलपमेंट सोसाइटी (SEEDS) पटना	-	सदस्य

उक्त समिति तम्बाकू नियंत्रण कार्यक्रम से संबंधित विभिन्न कार्यों का मूल्यांकन एवं अनुश्रवण करेगी जो निम्नलिखित है :-

- COTPA 2003 को पूरे जिला में प्रभावी रूप से लागू करने, चालान (दण्ड) व्यवस्था शुरू करने एवं मुल्यांकन तथा अनुश्रवण में सहयोग करना।
- तम्बाकू नियंत्रण कार्यक्रम से संबंधित कार्यों का प्रभावी रूप से क्रियान्वयन एवं अनुश्रवण हो ताकि केन्द्र सरकार के निदेश का अनुपालन सुनिश्चित हो पाये।
- सभी प्रखंडों की अनुश्रवण /रहनुमाई समितियों का गठन तथा उसकी बैठक नियमित रूप से त्रैमासिक अंतराल पर आयोजित किया जाना है।
- यह सुनिश्चित करना कि अधिकृत अधिकारी अपने कर्तव्यों का प्रभावी ढंग से अनुपालन कर रहे हैं तथा उनके द्वारा तम्बाकू नियंत्रण से संबंधित कितने मामलों में फैसला किया गया है।
- तम्बाकू संबंधित मामले पर निर्णय लेना तथा प्रखंड स्तरीय समितियों को सुझाव एवं मार्गदर्शन देना।
- भारतीय तम्बाकू नियंत्रण अधिनियम (COTPA 2003) की धारा-4,5,6 एवं 7 के उल्लंघन के मामलों में कार्रवाई करना तथा जिला स्तरीय समिति को सूचित करना।
- जिला तम्बाकू नियंत्रण समन्वय समिति (DTCCC) के सदस्यों की त्रैमासिक बैठक सुनिश्चित करना।

तम्बाकू और संबद्ध उत्पादों के प्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष /Surrogate विज्ञापन के बारे में शिकायत दर्ज कराने हेतु आम जनता को अवसर प्रदान करना तथा प्रक्रिया के अनुसार कार्रवाई सुनिश्चित करना।

जिलाधिकारी
मधेपुरा

ज्ञापांक 326

गो0 मधेपुरा, दिनांक 03/02/2014
प्रतिलिपि :- सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी / अनुमंडल पदाधिकारी, मधेपुरा / उदाकिशुनगंज / अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, मधेपुरा / उदाकिशुनगंज / जिला नोडल पदाधिकारी, जिला तंबाकू नियंत्रण समन्वय समिति, मधेपुरा / जिला पंचायती राज पदाधिकारी / सिनेमा मजिस्ट्रेट / जिला सूचना जन सम्पर्क पदाधिकारी / जिला परिवहन पदाधिकारी / जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, आई0सी0डी0एस0 / डी0आई0ओ0, एन0आई0सी0, / जिला शिक्षा पदाधिकारी / सिविल सर्जन / जिला कार्यक्रम प्रबंधक, जिला स्वास्थ्य समिति, मधेपुरा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :- पुलिस अधीक्षक, मधेपुरा को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित। अनुरोध है कि अपने स्तर से जिले के सभी थानाध्यक्षों एवं पुलिस निरीक्षकों को इस आशय की सूचना देंगे।

प्रतिलिपि :- आयुक्त, कोशी प्रमंडल, सहरसा / पुलिस उप महानिरीक्षक, सहरसा को सादर सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :- कार्यपालक निदेशक, सोसियो इकनामिक एण्ड ऐजुकेशन डेवलपमेंट सोसाइटी (सीडस), 303 बसंती कुंज अपार्टमेंट, पोस्ट ऑफिस रोड पुनाईचक, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :- राज्य कार्यक्रम पदाधिकारी / राज्य सलाहकार, राष्ट्रीय तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम, राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :- स्वास्थ्य सचिव सह कार्यपालक निदेशक, राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार, पटना को सादर सूचनार्थ प्रेषित।

3/2/14
नोडल पदाधिकारी
तंबाकू नियंत्रण समिति
मधेपुरा

2/2/14
जिलाधिकारी
मधेपुरा

1
15/11/2014
12/2/14

समाहरणालय, मधेपुरा

(जिला गोपनीय शाखा)

आदेश

सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान करना अपराध है। उल्लेखनीय है कि धूम्रपान से मानव स्वास्थ्य पर विपरीत प्रभाव पड़ता है और व्यक्ति गम्भीर बीमारियों से ग्रसित हो जाता है इसलिए स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा संचालित तम्बाकू नियंत्रण कार्यक्रम के अन्तर्गत दिनांक 27.01.2014 को जिला स्वास्थ्य समिति, मधेपुरा एवं सोशियो इक्नॉमिक एण्ड एजुकेशन डेवलपमेंट सोसाईटी (SEEDS) के संयुक्त तत्वावधान में जिला स्तरीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। उक्त कार्यशाला में लिए गए निर्णय के अनुसार सिगरेट एवं अन्य तम्बाकू उत्पाद अधिनियम COTPA-2003 के धारा (4) के अनुसार सभी सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान करना निषेध है, लेकिन अभी भी आम जनता जानकारी और कानून के प्रभावी क्रियान्वयन के अभाव में सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान करते हैं।

जिले के सभी सार्वजनिक स्थलों यथा-बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन, पुलिस स्टेशन, मनोरंजन केन्द्र, पुस्तकालय, शापिंग मॉल, कॉफी हाउस, न्यायालय परिसर, सभाकक्ष, प्रतिकालय, टी स्टॉल, मिष्ठान भंडार, दवा, सभी सरकारी/गैर सरकारी कार्यालय, सभी सरकारी/गैर सरकारी शैक्षणिक संस्थान, सभी सरकारी/गैर सरकारी स्वास्थ्य केन्द्र/अस्पताल, सिनेमा हॉल, होटल/ रेस्टोरेन्ट, पंचायत भवन, चौक एवं अन्य सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान प्रतिबंधित है। यदि सार्वजनिक स्थानों पर कोई व्यक्ति धूम्रपान करते पाया जाता है तो भारतीय तम्बाकू नियंत्रण अधिनियम, COTPA-2003 की धारा 4 के अंतर्गत दंडनीय अपराध है, उल्लंघनकर्ता को रुपये 200/- तक जुर्माना किया जा सकता है। बोर्ड का प्रारूप निम्नांकित है :-



अतः चालान के द्वारा अधिकतम 200 रु0 तक दंड की व्यवस्था के सुचारु रूप से कार्यान्वयन के लिए सभी अधिकृत पदाधिकारियों को आदेश दिया जाता है कि अपने-अपने कार्य क्षेत्र में सिगरेट

एवं अन्य तम्बाकू उत्पाद अधिनियम COTPA-2003 के धारा (4) के तहत उल्लंघन करने वाले को 200 रु0 तक दंडित करना एवं सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान निषेध का बोर्ड लगवाना सुनिश्चित करेंगे। साथ में प्रत्येक महिने के प्रथम सप्ताह में उक्त कार्यवाही का प्रगति प्रतिवेदन अधोहस्ताक्षरी को देना सुनिश्चित करेंगे। यदि किसी प्रकार की त्रुटि पाई गयी तो इसके लिए संबंधित अधिकारी उत्तरदायी रहेंगे।

03/02/14
नोडल अधिकारी

03/02/14
जिलाधिकारी-सह-अध्यक्ष,
जिला तम्बाकू नियंत्रण समन्वय समिति,
मधेपुरा

झापांक 321/गो0 मधेपुरा, दिनांक 03/02/2014

- प्रतिलिपि :- सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी / अनुमंडल पदाधिकारी, मधेपुरा / उदाकिशुनगंज / अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, मधेपुरा / उदाकिशुनगंज / जिला नोडल पदाधिकारी, जिला तंबाकू नियंत्रण समन्वय समिति, मधेपुरा / जिला पंचायती राज पदाधिकारी / सिनेमा मजिस्ट्रेट / जिला सूचना जन सम्पर्क पदाधिकारी / जिला परिवहन पदाधिकारी / जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, आई0सी0डी0एस0 / डी0आई0ओ0, एन0आई0सी0, / जिला शिक्षा पदाधिकारी / सिविल सर्जन / जिला कार्यक्रम प्रबंधक, जिला स्वास्थ्य समिति, मधेपुरा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
- प्रतिलिपि :- पुलिस अधीक्षक, मधेपुरा को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित। अनुरोध है कि अपने स्तर से जिले के सभी थानाध्यक्षों एवं पुलिस निरीक्षकों को इस आशय की सूचना देंगे।
- प्रतिलिपि :- आयुक्त, कोशी प्रमंडल, सहरसा / पुलिस उप महानिरीक्षक, सहरसा को सादर सूचनार्थ प्रेषित।
- प्रतिलिपि :- कार्यपालक निदेशक, सोसियो इक्वामिक एण्ड ऐजुकेशन डेवलपमेंट सोसाइटी (सीडस), 303 बसंती कुंज अपार्टमेन्ट, पोस्ट ऑफिस रोड पुनाईचक, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।
- प्रतिलिपि :- राज्य कार्यक्रम पदाधिकारी / राज्य सलाहकार, राष्ट्रीय तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम, राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार पटना को सूचनार्थ प्रेषित।
- प्रतिलिपि :- स्वास्थ्य सचिव सह कार्यपालक निदेशक, राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार, पटना को सादर सूचनार्थ प्रेषित।

03/02/14
नोडल अधिकारी

03/02/14
जिलाधिकारी -सह- अध्यक्ष,
जिला तम्बाकू नियंत्रण समन्वय समिति,
मधेपुरा।

समाहरणालय, मधेपुरा
(जिला तम्बाकू नियंत्रण कोषांग)

आदेश


मधेपुरा जिले के कई स्थानों पर तंबाकू उत्पाद यथा सिगरेट, बीड़ी, पान मसाला, जर्दा एवं खैनी का प्रचार-प्रसार बैनर्स /पोस्टर्स /होर्डिंग्स /दिवाल लेखन इत्यादि के माध्यम से किया जा रहा है।

माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के आलोक में सिगरेट एवं अन्य तंबाकू उत्पाद (विज्ञापन का प्रतिषेध और व्यापार तथा वाणिज्य, उत्पादन, प्रदाय और वितरण का विनियमन) अधिनियम, 2003, के धारा 5(1) एवं 5(3) के अनुसार किसी भी तंबाकू पदार्थों के प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष विज्ञापन पर पूर्ण प्रतिबन्ध है। अधिनियम की धारा 21 के अनुसार "धारा 5 का उल्लंघन करने पर दो वर्ष का कारावास /रूपये 1000/- (रूपये एक हजार) का आर्थिक दण्ड अथवा दोनों का प्रावधान है"।

अतः सभी संबंधित एजेंसियों /संस्थाओं /दुकानदारों /व्यक्तियों को निदेश दिया जाता है कि किसी भी तंबाकू उत्पाद यथा सिगरेट, बीड़ी, पान मसाला, जर्दा एवं खैनी का बैनर्स /पोस्टर्स /होर्डिंग्स /दिवाल लेखन इत्यादि के माध्यम से प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप में प्रचार-प्रसार करना बंद करें एवं मधेपुरा जिले में लगाये गये इस तरह के बैनर्स /पोस्टर्स /होर्डिंग्स /दिवाल लेखन इत्यादि को तत्काल प्रभाव से हटाये जायें अन्यथा विधि संगत कार्रवाई की जा सकती है। संबंधित पदाधिकारी अपने कार्य क्षेत्र को TAPS (Tobacco Advertisement Promotion and Sponsorship) मुक्त कर अधोहस्ताक्षरी को एक माह के अंदर सूचित करें।

यह आदेश तत्कालिक प्रभाव से लागू होगा।


ज. एस. प्रसाद


जिलाधिकारी -सह- अध्यक्ष,
जिला तम्बाकू नियंत्रण समन्वय समिति,
मधेपुरा।

ज्ञापांक325...../गो० मधेपुरा, दिनांक 03/02/2014

प्रतिलिपि :- सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी / अनुमंडल पदाधिकारी, मधेपुरा /उदाकिशुनगंज / अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, मधेपुरा /उदाकिशुनगंज / जिला नोडल पदाधिकारी, जिला तंबाकू नियंत्रण समन्वय समिति, मधेपुरा /जिला पंचायती राज पदाधिकारी / सिनेमा मजिस्ट्रेट /जिला सूचना जन सम्पर्क पदाधिकारी / जिला परिवहन पदाधिकारी /जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, आई०सी०डी०एस० / डी०आई०ओ०, एन०आई०सी०, /जिला शिक्षा पदाधिकारी / सिविल सर्जन /जिला कार्यक्रम प्रबंधक, जिला स्वास्थ्य समिति, मधेपुरा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :- पुलिस अधीक्षक, मधेपुरा को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित। अनुरोध है कि अपने स्तर से जिले के सभी थानाध्यक्षों एवं पुलिस निरीक्षकों को इस आशय की सूचना देंगे।


प्रतिलिपि :- आयुक्त, कोशी प्रमंडल, सहरसा /पुलिस उप महानिरीक्षक, सहरसा को सादर सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :- कार्यपालक निदेशक, सोसियो इकनामिक एण्ड एजुकेशन डेवलपमेंट सोसाइटी (सीडस), 303 बसंती कुंज अपार्टमेंट, पोस्ट ऑफिस रोड पुनाईचक, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :- राज्य कार्यक्रम पदाधिकारी /राज्य सलाहकार, राष्ट्रीय तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम, राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :- स्वास्थ्य सचिव सह कार्यपालक निदेशक, राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।


ज. एस. प्रसाद


जिलाधिकारी -सह- अध्यक्ष,
जिला तम्बाकू नियंत्रण समन्वय समिति,
मधेपुरा।

THE HISTORY OF THE

ROYAL SOCIETY OF LONDON

FROM ITS FOUNDATION

TO THE PRESENT TIME

BY

J. H. BURNETT

ESQ.

OF

THE UNIVERSITY OF OXFORD

AND

OF THE SOCIETY OF FRIENDS

IN LONDON

AND

OF THE SOCIETY OF ARTS

AND

OF THE SOCIETY OF ANTIQUARIES

AND

OF THE SOCIETY OF LETTERS

AND

OF THE SOCIETY OF SCIENCE

AND

OF THE SOCIETY OF PHILOSOPHY

AND

OF THE SOCIETY OF AGRICULTURE

AND

OF THE SOCIETY OF COMMERCE

AND

OF THE SOCIETY OF MANUFACTURES

AND

OF THE SOCIETY OF TRADES

AND

OF THE SOCIETY OF ARTS AND CRAFTS

AND

OF THE SOCIETY OF LETTERS AND SCIENCES

AND

OF THE SOCIETY OF PHILOSOPHY AND ARTS

AND

OF THE SOCIETY OF AGRICULTURE AND COMMERCE

AND

समाहरणालय, मधेपुरा
(जिला गोपनीय शाखा)

आदेश


तम्बाकू सेवन से स्वास्थ्य पर विपरीत प्रभाव पड़ता है और व्यक्ति गम्भीर बीमारियों से ग्रसित हो जाता है इसलिए स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा संचालित तम्बाकू नियंत्रण कार्यक्रम के अन्तर्गत दिनांक 27.01.2014 को जिला स्वास्थ्य समिति, मधेपुरा एवं सोशियो इकनॉमिक एण्ड एजुकेशन डेवलपमेंट सोसाईटी (SEEDS) के संयुक्त तत्वावधान में जिला स्तरीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला में लिए गए निर्णय के अनुसार सिगरेट एवं अन्य तम्बाकू उत्पाद अधिनियम COTPA-2003 के धारा (6A) के अनुसार सभी तम्बाकू उत्पाद बेचने वाले दूकानों पर यह बोर्ड लगाना अनिवार्य है इस अधिनियम के अन्तर्गत 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चे को तम्बाकू उत्पाद बेचना या उनके द्वारा तम्बाकू उत्पाद बेचना पूर्णतः प्रतिबंधित है फ्लैक्स बैनर का प्रारूप निम्नप्रकार से है :-




तम्बाकू जानलेवा है

अठारह वर्ष से कम आयु वाले व्यक्ति को तम्बाकू उत्पादों की बिक्री दंडनीय अपराध है


जिला के सभी तम्बाकू उत्पाद यथा- बिड़ी, सिगरेट, गुटखा, जर्दा एवं अन्य निकोटिनयुक्त पान मशाला तथा अन्य तम्बाकू उत्पाद बेचने वाले दुकानदारों एवं थोक विक्रेताओं को निर्देशित किया जाता है कि अपने अपने दुकान पर यह बोर्ड लगाना सुनिश्चित करेंगे। आदेश का अनुपालन नहीं होने पर दंडात्मक कार्रवाई की जा सकती है एवं चालान के द्वारा अधिकतम 200 रु0 तक दंड का प्रावधान है।



नोबल प्रदायक


जिलाधिकारी -सह- अध्यक्ष,
जिला तम्बाकू नियंत्रण समन्वय समिति,
मधेपुरा।

ज्ञापांक 319 /गो0 मधेपुरा, दिनांक 03/02/2014

- प्रतिलिपि :- सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी / अनुमंडल पदाधिकारी, मधेपुरा / उदाकिशुनगंज / अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, मधेपुरा / उदाकिशुनगंज / जिला नोडल पदाधिकारी, जिला तंबाकू नियंत्रण समन्वय समिति, मधेपुरा / जिला पंचायती राज पदाधिकारी / सिनेमा मजिस्ट्रेट / जिला सूचना जन सम्पर्क पदाधिकारी / जिला परिवहन पदाधिकारी / जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, आई0सी0डी0एस0 / डी0आई0ओ0, एन0आई0सी0, / जिला शिक्षा पदाधिकारी / सिविल सर्जन / जिला कार्यक्रम प्रबंधक, जिला स्वास्थ्य समिति, मधेपुरा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
- प्रतिलिपि :- पुलिस अधीक्षक, मधेपुरा को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित। अनुरोध है कि अपने स्तर से जिले के सभी थानाध्यक्षों एवं पुलिस निरीक्षकों को इस आशय की सूचना देंगे।
- प्रतिलिपि :- आयुक्त, कोशी प्रमंडल, सहरसा / पुलिस उप महानिरीक्षक, सहरसा को सादर सूचनार्थ प्रेषित।
- प्रतिलिपि :- कार्यपालक निदेशक, सोसियो इक्नामिक एण्ड ऐजुकेशन डेवलपमेंट सोसाइटी (सीडस), 303 बसंती कुंज अपार्टमेन्ट, पोस्ट ऑफिस रोड पुनाईचक, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।
- प्रतिलिपि :- राज्य कार्यक्रम पदाधिकारी / राज्य सलाहकार, राष्ट्रीय तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम, राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार पटना को सूचनार्थ प्रेषित।
- प्रतिलिपि :- स्वास्थ्य सचिव सह कार्यपालक निदेशक, राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार, पटना को सादर सूचनार्थ प्रेषित।


जिलाधिकारी
मधेपुरा



जिलाधिकारी -सह- अध्यक्ष,
जिला तंबाकू नियंत्रण समन्वय समिति,
मधेपुरा।

समाहरणालय, मधेपुरा
(जिला गोपनीय प्रशाखा)

आदेश


धूम्रपान से मानव स्वास्थ्य पर विपरीत प्रभाव पड़ता है और व्यक्ति गम्भीर बीमारियों से ग्रसित हो जाता है इसलिए स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा संचालित तम्बाकू नियंत्रण कार्यक्रम के अन्तर्गत दिनांक 27.01.2014 को जिला स्वास्थ्य समिति, मधेपुरा एवं सोशियो इकनॉमिक एण्ड एजुकेशन डेवलपमेंट सोसाईटी (SEEDS) के संयुक्त तत्वावधान में जिला स्तरीय कार्यशाला का आयोजन किया गया एवं कार्यशाला में लिए गए निर्णय के अनुसार सिगरेट एवं अन्य तम्बाकू उत्पाद अधिनियम COTPA-2003 के धारा (6B) के अनुसार सभी शिक्षण संस्थानों को तम्बाकू मुक्त बनाने के लिए शिक्षण संस्थान के 100 गज के दायरे में किसी भी प्रकार के तम्बाकू उत्पाद को बेचने वालों पर प्रतिबंध लगाया गया है। साथ ही विद्यालय के मुख्य द्वार पर तम्बाकू के दुष्प्रभाव से संबंधित पोस्टर, बैनर एवं फ्लैक्स लगाने का निदेश दिया गया है। फ्लैक्स बैनर का प्रारूप निम्नप्रकार से है :-


60cmx 60 cm (15cm+30cm+15cm)



जिला के सभी सरकारी/गैर सरकारी शिक्षण संस्थानों के प्रधानाध्यापकों को निदेशित किया जाता है कि अपने-अपने शिक्षण संस्थान में उपरोक्त प्रारूप का दिवार लेखन एवं 100 गज के दायरे में किसी भी प्रकार का तम्बाकू उत्पाद की बिक्री पर पूर्ण प्रतिबंध लगाना सुनिश्चित करें। आदेश का अनुपालन नहीं होने पर दंडात्मक कार्रवाई की जा सकती है एवं चालान के द्वारा अधिकतम 200 रु0 तक दंड का प्रावधान है। साथ में इसकी सूचना प्रत्येक महिने के प्रथम सप्ताह में जिला शिक्षा पदाधिकारी के माध्यम से अधोहस्ताक्षरी को देना सुनिश्चित करें।

अतः जिला शिक्षा पदाधिकारी को निदेश दिया जाता है कि आम जन के बीच तम्बाकू के दूष्परिणामों के बारे में जागरूक करने के उद्देश्य से सभी सरकारी/गैर सरकारी विद्यालयों में तम्बाकू नियंत्रण पर प्रभात-फेरी के माध्यम से जागरूकता अभियान चलाना सुनिश्चित करें।



जो. 50055/बिहार


जिलाधिकारी-सह-अध्यक्ष,
जिला तम्बाकू नियंत्रण समन्वय समिति,
मधेपुरा

ज्ञापांक329...../गो0 मधेपुरा, दिनांक 03/02/2014

- प्रतिलिपि :- सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी / अनुमंडल पदाधिकारी, मधेपुरा / उदाकिशुनगंज / अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, मधेपुरा / उदाकिशुनगंज / जिला नोडल पदाधिकारी, जिला तंबाकू नियंत्रण समन्वय समिति, मधेपुरा / जिला पंचायती राज पदाधिकारी / सिनेमा मजिस्ट्रेट / जिला सूचना जन सम्पर्क पदाधिकारी / जिला परिवहन पदाधिकारी / जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, आई0सी0डी0एस0 / डी0आई0ओ0, एन0आई0सी0, / जिला शिक्षा पदाधिकारी / सिविल सर्जन / जिला कार्यक्रम प्रबंधक, जिला स्वास्थ्य समिति, मधेपुरा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
- प्रतिलिपि :- पुलिस अधीक्षक, मधेपुरा को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित। अनुरोध है कि अपने स्तर से जिले के सभी थानाध्यक्षों एवं पुलिस निरीक्षकों को इस आशय की सूचना देंगे।
- प्रतिलिपि :- आयुक्त, कोशी प्रमंडल, सहरसा / पुलिस उप महानिरीक्षक, सहरसा को सादर सूचनार्थ प्रेषित।
- प्रतिलिपि :- कार्यपालक निदेशक, सोसियो इक्नामिक एण्ड ऐजुकेशन डेवलपमेंट सोसाइटी (सीडस), 303 बसंती कुंज अपार्टमेन्ट, पोस्ट ऑफिस रोड पुनाईचक, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।
- प्रतिलिपि :- राज्य कार्यक्रम पदाधिकारी / राज्य सलाहकार, राष्ट्रीय तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम, राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार पटना को सूचनार्थ प्रेषित।
- प्रतिलिपि :- स्वास्थ्य सचिव सह कार्यपालक निदेशक, राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार, पटना को सादर सूचनार्थ प्रेषित।


नोडल 535/बिहार


जिलाधिकारी -सह- अध्यक्ष,
जिला तम्बाकू नियंत्रण समन्वय समिति,
मधेपुरा।


समाहरणालय, मधेपुरा
(जिला तम्बाकू नियंत्रण कोषांग)
आदेश


तम्बाकू स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। इससे मानव स्वास्थ्य पर विपरीत प्रभाव पड़ता है और व्यक्ति गम्भीर बीमारियों से ग्रसित हो जाता है। राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार सरकार द्वारा संचालित तम्बाकू नियंत्रण कार्यक्रम के अन्तर्गत दिनांक 27.01.2014 को जिला स्वास्थ्य समिति, मधेपुरा एवं सोशियो इकोनॉमिक एण्ड एजुकेशन डेवलपमेंट सोसाईटी (SEEDS) के संयुक्त तत्वावधान में जिला स्तरीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला में लिए गए निर्णय के अनुसार सिगरेट एवं अन्य तम्बाकू उत्पाद अधिनियम COTPA-2003 के विभिन्न धाराओं के अनुपालनार्थ जिला स्तरीय छापामार दस्ते का गठन किया जाता है। यह दस्ता सार्वजनिक स्थलों, सरकारी/गैर सरकारी कार्यालय परिक्षेत्र, शिक्षण संस्थानों, स्वास्थ्य संस्थानों एवं तम्बाकू उत्पाद विक्रय स्थलों की मॉनिटरिंग कर उल्लंघनकर्ता पर नियमानुसार चालान/जुर्माना (रूपये 200/- तक) की कार्यवाही सुनिश्चित करेंगी।


जिला स्तरीय छापामार दस्ता में निम्नलिखित पदाधिकारी रहेंगे:-

- | | | |
|--|---|---------|
| 1. आरक्षी उपाधीक्षक (मुख्यालय) | - | अध्यक्ष |
| 2. उपाधीक्षक, सदर अस्पताल, मधेपुरा | - | सदस्य |
| 3. जिला परिवहन पदाधिकारी | - | सदस्य |
| 4. अपर मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी | - | सदस्य |
| 5. जिला कार्यक्रम पदाधिकारी (ICDS) | - | सदस्य |
| 6. जिला खाद्य सुरक्षा पदाधिकारी | - | सदस्य |
| 7. औषधि निरीक्षक | - | सदस्य |
| 8. जिला शिक्षा पदाधिकारी | - | सदस्य |
| 9. जिला कार्यक्रम प्रबंधक (जिला स्वास्थ्य समिति) | - | सदस्य |
| 10. श्रम अधीक्षक, कटिहार | - | सदस्य |
| 11. संबंधित थानाध्यक्ष | - | सदस्य |
| 12. जिला नोडल पदाधिकारी (तम्बाकू नियंत्रण) | - | समन्वयक |

जिला नोडल पदाधिकारी तम्बाकू नियंत्रण इस छापामार दस्ते के साथ समन्वय स्थापित कर सप्ताह में कम से कम एक बार छापामारी की प्रक्रिया को क्रियान्वित करेंगे। साथ ही प्रत्येक महिने के प्रथम सप्ताह में इसका प्रगति प्रतिवेदन अधोहस्ताक्षरी को उपलब्ध करना सुनिश्चित करेंगे।


जिला नोडल पदाधिकारी,
(तम्बाकू नियंत्रण कोषांग)
मधेपुरा


सिविल सर्जन-सह-सदस्य,
सचिव, जिला स्वास्थ्य समिति,
मधेपुरा


जिलाधिकारी-सह-अध्यक्ष,
जिला स्वास्थ्य समिति,
मधेपुरा

क्रमांक 352/गो 0 मधेपुरा, दिनांक 06/02/2014

प्रतिलिपि :- सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी, / अनुमंडल पदाधिकारी, मधेपुरा / उदाकिशुनगंज / अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, मधेपुरा / उदाकिशुनगंज / जिला नोडल पदाधिकारी, जिला तंबाकू नियंत्रण समन्वय समिति, मधेपुरा / जिला पंचायती राज पदाधिकारी / सिनेमा मजिस्ट्रेट / जिला सूचना जन सम्पर्क पदाधिकारी / जिला परिवहन पदाधिकारी / जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, आई०सी०डी०एस० / डी०आई०ओ०, एन०आई०सी०, / जिला शिक्षा पदाधिकारी / सिविल सर्जन / जिला कार्यक्रम प्रबंधक, जिला स्वास्थ्य समिति, मधेपुरा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


प्रतिलिपि :- पुलिस अधीक्षक, मधेपुरा को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित। अनुरोध है कि अपने स्तर से जिले के सभी थानाध्यक्षों एवं पुलिस निरीक्षकों को इस आशय की सूचना देंगे।


प्रतिलिपि :- आयुक्त, कोशी प्रमंडल, सहरसा / पुलिस उप महानिरीक्षक, सहरसा को सादर सूचनार्थ प्रेषित।


प्रतिलिपि :- कार्यपालक निदेशक, सोसियो इकनामिक एण्ड ऐजुकेशन डेवलपमेंट सोसाइटी (सीडस), 303 बसंती कुंज अपार्टमेन्ट, पोस्ट ऑफिस रोड पुनाईचक, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :- राज्य कार्यक्रम पदाधिकारी / राज्य सलाहकार, राष्ट्रीय तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम, राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :- स्वास्थ्य सचिव सह कार्यपालक निदेशक, राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार, पटना को सादर सूचनार्थ प्रेषित।


जिला नोडल पदाधिकारी,
(तंबाकू नियंत्रण कोषांग)
मधेपुरा


सिविल सर्जन-सह-सदस्य,
सचिव, जिला स्वास्थ्य समिति,
मधेपुरा


जिलाधिकारी-सह-अध्यक्ष,
जिला स्वास्थ्य समिति,
मधेपुरा

समाहरणालय, मधेपुरा
(जिला तम्बाकू नियंत्रण कोषांग)

आदेश


तम्बाकू स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। इससे मानव स्वास्थ्य पर विपरीत प्रभाव पड़ता है और व्यक्ति गम्भीर बीमारियों से ग्रसित हो जाता है। राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार सरकार द्वारा संचालित तम्बाकू नियंत्रण कार्यक्रम के अन्तर्गत दिनांक 27.01.2014 को जिला स्वास्थ्य समिति, मधेपुरा एवं सोशियो इकोनॉमिक एण्ड एजुकेशन डेवलपमेंट सोसाईटी (SEEDS) के संयुक्त तत्वावधान में जिला स्तरीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला में लिए गए निर्णय के अनुसार सिगरेट एवं अन्य तम्बाकू उत्पाद अधिनियम COTPA-2003 के विभिन्न धाराओं के अनुपालनार्थ अनुमंडल स्तरीय छापामार दस्ते का गठन किया जाता है। यह दस्ता सार्वजनिक स्थलों, सरकारी/गैर सरकारी कार्यालय परिक्षेत्र, शिक्षण संस्थानों, स्वास्थ्य संस्थानों एवं तम्बाकू उत्पाद विक्रय स्थलों की मॉनिटरिंग कर उल्लंघनकर्ता पर नियमानुसार चालान/जुर्माना (रूपये 200/- तक) की कार्यवाही सुनिश्चित करेंगी।


अनुमंडल स्तरीय छापामार दस्ता में निम्नलिखित पदाधिकारी रहेंगे :-

- | | | |
|---|---|---------|
| 1. अनुमंडल पदाधिकारी | - | अध्यक्ष |
| 2. अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी | - | सदस्य |
| 3. कार्यपालक दण्डाधिकारी | - | सदस्य |
| 4. अनुमंडल कल्याण पदाधिकारी | - | सदस्य |
| 5. प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी, अनुमंडल मुख्यालय | - | सदस्य |
| 6. अनुमंडल शिक्षा पदाधिकारी | - | सदस्य |
| 7. संबंधित थानाध्यक्ष | - | सदस्य |

संबंधित अनुमंडल पदाधिकारी अपने अपने कार्यक्षेत्र में उक्त छापामार दस्ते के द्वारा प्रत्येक सप्ताह में कम से कम एक बार छापामारी की प्रक्रिया को क्रियान्वित कराते हुए प्रत्येक महिने के प्रथम सप्ताह में इसका प्रगति प्रतिवेदन अधोहस्ताक्षरी को प्रतिवेदित करना सुनिश्चित करेंगे। इस काम में अनुमंडल पदाधिकारी अनुमंडल स्तरीय अन्य पदाधिकारियों की भी सेवारतें लें सकेंगे।

जिला नोडल पदाधिकारी,
(तम्बाकू नियंत्रण कोषांग)
मधेपुरा


सिविल सर्जन-सह-सदस्य,
सचिव, जिला स्वास्थ्य समिति,
मधेपुरा


जिलाधिकारी-सह-अध्यक्ष,
जिला स्वास्थ्य समिति,
मधेपुरा

ज्ञापांक 353 / गो 0 मधेपुरा, दिनांक 06/02/2014

- प्रतिलिपि :- सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी / अनुमंडल पदाधिकारी, मधेपुरा / उदाकिशुनगंज / अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, मधेपुरा / उदाकिशुनगंज / जिला नोडल पदाधिकारी, जिला तंबाकू नियंत्रण समन्वय समिति, मधेपुरा / जिला पंचायती राज पदाधिकारी / सिनेमा मजिस्ट्रेट / जिला सूचना जन सम्पर्क पदाधिकारी / जिला परिवहन पदाधिकारी / जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, आई0सी0डी0एस0 / डी0आई0ओ0, एन0आई0सी0, / जिला शिक्षा पदाधिकारी / सिविल सर्जन, जिला कार्यक्रम प्रबंधक, जिला स्वास्थ्य समिति, मधेपुरा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
- प्रतिलिपि :- पुलिस अधीक्षक, मधेपुरा को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित। अनुरोध है कि अपने स्तर से जिले के सभी थानाध्यक्षों एवं पुलिस निरीक्षकों को इस आशय की सूचना देंगे।
- प्रतिलिपि :- आयुक्त, कोशी प्रमंडल, सहरसा / पुलिस उप महानिरीक्षक, सहरसा को सादर सूचनार्थ प्रेषित।
- प्रतिलिपि :- कार्यपालक निदेशक, सोसियो इक्नामिक एण्ड ऐजुकेशन डेवलपमेंट सोसाइटी (सीडस), 303 बसंती कुंज अपार्टमेन्ट, पोस्ट ऑफिस रोड पुनाईचक, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।
- प्रतिलिपि :- राज्य कार्यक्रम पदाधिकारी / राज्य सलाहकार, राष्ट्रीय तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम, राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार पटना को सूचनार्थ प्रेषित।
- प्रतिलिपि :- स्वास्थ्य सचिव सह कार्यपालक निदेशक, राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार, पटना को सादर सूचनार्थ प्रेषित।

जिला नोडल पदाधिकारी,
(तंबाकू नियंत्रण कोषांग)
मधेपुरा

सिविल सर्जन-सह-सदस्य,
सचिव, जिला स्वास्थ्य समिति,
मधेपुरा

जिलाधिकारी-सह-अध्यक्ष,
जिला स्वास्थ्य समिति,
मधेपुरा

समाहरणालय, मधेपुरा
(जिला तम्बाकू नियंत्रण कोषांग)

आदेश

तम्बाकू स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। इससे मानव स्वास्थ्य पर विपरीत प्रभाव पड़ता है और व्यक्ति गम्भीर बीमारियों से ग्रसित हो जाता है। राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार सरकार द्वारा संचालित तम्बाकू नियंत्रण कार्यक्रम के अन्तर्गत दिनांक 27.01.2014 को जिला स्वास्थ्य समिति, मधेपुरा एवं सोशियो इकोनॉमिक एण्ड एजुकेशन डेवलपमेंट सोसाईटी (SEEDS) के संयुक्त तत्वावधान में जिला स्तरीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला में लिए गए निर्णय के अनुसार सिगरेट एवं अन्य तम्बाकू उत्पाद अधिनियम **COTPA-2003** के विभिन्न धाराओं के अनुपालनार्थ प्रखंड स्तरीय छापामार दस्ते का गठन किया जाता है। यह दस्ता जो सार्वजनिक स्थलों, सरकारी/गैर सरकारी कार्यालय परिक्षेत्र, शिक्षण संस्थानों, स्वास्थ्य संस्थानों एवं तम्बाकू उत्पाद विक्रय स्थलों की मॉनिटरिंग कर उल्लंघनकर्ता पर नियमानुसार चालान/जुर्माना (रूपये 200/- तक) की कार्यवाही सुनिश्चित करेंगी।


प्रखंड स्तरीय छापामार दस्ता में निम्नलिखित पदाधिकारी रहेंगे :-


- | | | |
|-----------------------------------|---|--------------|
| 1. प्रखंड विकास पदाधिकारी | - | अध्यक्ष |
| 2. प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी | - | सन्वयक सदस्य |
| 3. प्रखंड शिक्षा प्रसार पदाधिकारी | - | सदस्य |
| 4. प्रखंड कृषि पदाधिकारी | - | सदस्य |
| 5. श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी | - | सदस्य |
| 6. प्रखंड स्वास्थ्य प्रबंधक | - | सदस्य |
| 7. संबंधित थानाध्यक्ष | - | सदस्य |

संबंधित प्रखंड विकास पदाधिकारी अपने अपने कार्यक्षेत्र में इस छापामार दस्ते के द्वारा प्रत्येक सप्ताह में कम से कम एक बार छापामारी की प्रक्रिया को क्रियान्वित करते हुए प्रत्येक महिने के प्रथम सप्ताह में इसका प्रगति प्रतिवेदन अधोहस्ताक्षरी को उपलब्ध करना सुनिश्चित करेंगे। वे आवश्यकतानुसार अंचलाधिकारी/बाल विकास परियोजना पदाधिकारी को भी अध्यक्ष के रूप में प्रतिनियुक्त कर सकेंगे। साथ ही उनके द्वारा प्रखंड स्तरीय अन्य पदाधिकारियों की भी सेवारतें ली जा सकेंगी।


28/1/14

जिला नोडल पदाधिकारी,
(तम्बाकू नियंत्रण कोषांग)
मधेपुरा


सिविल सर्जन-सह-सदस्य,
सचिव, जिला स्वास्थ्य समिति,
मधेपुरा


जिलाधिकारी-सह-अध्यक्ष,
जिला स्वास्थ्य समिति,
मधेपुरा

झापांक 354/गो0 मधेपुरा, दिनांक 06/02/2014

- प्रतिलिपि :- सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी / अनुमंडल पदाधिकारी, मधेपुरा / उदाकिशुनगंज / अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, मधेपुरा / उदाकिशुनगंज / जिला नोडल पदाधिकारी, जिला तंबाकू नियंत्रण समन्वय समिति, मधेपुरा / जिला पंचायती राज पदाधिकारी / सिनेमा मजिस्ट्रेट / जिला सूचना जन सम्पर्क पदाधिकारी / जिला परिवहन पदाधिकारी / जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, आई0सी0डी0एस0 / डी0आई0ओ0, एन0आई0सी0, / जिला शिक्षा पदाधिकारी / सिविल सर्जन / जिला कार्यक्रम प्रबंधक, जिला स्वास्थ्य समिति, मधेपुरा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
- प्रतिलिपि :- पुलिस अधीक्षक, मधेपुरा को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित। अनुरोध है कि अपने स्तर से जिले के सभी थानाध्यक्षों एवं पुलिस निरीक्षकों को इस आशय की सूचना देंगे।
- प्रतिलिपि :- आयुक्त, कोशी प्रमंडल, सहरसा / पुलिस उप महानिरीक्षक, सहरसा को सादर सूचनार्थ प्रेषित।
- प्रतिलिपि :- कार्यपालक निदेशक, सोसियो इक्नामिक एण्ड ऐजुकेशन डेवलपमेंट सोसाइटी (सीडस), 303 बसंती कुंज अपार्टमेंट, पोस्ट ऑफिस रोड पुनाईचक, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।
- प्रतिलिपि :- राज्य कार्यक्रम पदाधिकारी / राज्य सलाहकार, राष्ट्रीय तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम, राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार पटना को सूचनार्थ प्रेषित।
- प्रतिलिपि :- स्वास्थ्य सचिव सह कार्यपालक निदेशक, राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार, पटना को सादर सूचनार्थ प्रेषित।

03/02/14
जिला नोडल पदाधिकारी,
(तंबाकू नियंत्रण कोषांग)
मधेपुरा

03/02/14
सिविल सर्जन-सह-सदस्य,
सचिव, जिला स्वास्थ्य समिति,
मधेपुरा

03/02/14
जिलाधिकारी-सह-अध्यक्ष,
जिला स्वास्थ्य समिति,
मधेपुरा

कार्यपालक निदेशक-सोसियो इक्नामिक एण्ड ऐजुकेशन डेवलपमेंट सोसाइटी (सीडस) 303 बसंती कुंज पोस्ट ऑफिस रोड पुनाईचक 1

5